

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक: 31 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मण्डलायुक्त, बरेली के उपयोगार्थ निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नया इनोवा वाहन क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत आयुक्त कार्यालय हेतु मोटर गाड़ियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख में से आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली के वाहन सं0 यू0पी0-25ए0जी0/0333 अम्बेसडर कार के निष्प्रयोज्य स्वरूप एक नया इनोवा वाहन क्रय हेतु रू0 13,45,747.00 (तेरह लाख पैतालीस हजार सात सौ सैंतालीस मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रतिस्थापन स्वरूप नया वाहन के क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- (2) उक्त वाहन का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। अतः उक्त वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरों के आधार पर किया जायेगा।
- (4) स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वाहन का निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रय करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जाय।
- (5) वाहन क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस अधिकारी को वाहन आवंटित किया जाना है उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई शासकीय वाहन आवंटित नहीं है। आवंटित वाहन उसी अधिकारी द्वारा उपयोग किया जाएगा जिस अधिकारी का वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप नये वाहन के रूप में प्रतिस्थापन किया गया है।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053- जिला प्रशासन-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय-14 मोटर गाड़ियों का क्रय मद से किया जायेगा।

3- आवंटित वाहन सूक्ष्म लघु मध्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या 1/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 22.05.2015 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार केवल अनुमन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही प्रयोग में लाया जाएगा।

4- स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बजट जनपद को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

5 -यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-506/दस-2019 दिनांक 31 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 7 /445(1)/एक-4-2019-रा0-4, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ उएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद
- 3- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 4 कोषाधिकारी, बरेली।
- 5- सूक्ष्म लघु मध्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2
- 6- वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-5
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8- राजस्व अनुभाग-6
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।